न्यायालय : विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, खगड़िया।
उपस्थितः ऋषि चंदन,
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट,
खगड़िया।

खगड़िया(गंगौर) थाना कांड संख्या–14/2026
विशेष जमानत आवेदन संख्या–13/2026
ज्योतिष मिश्रा बनाम बिहार राज्य

तिथि	आदेश	अभियुक्ति
24.01.2026	खगड़िया(गंगौर) थाना कांड संख्या–14/2026 अंतर्गत धारा–72 बी.एन.एस., 66ई आई.टी.एक्ट एवं धारा–23 पॉक्सो एक्ट के आरोपित आवेदक अभियुक्त ज्योतिष मिश्रा की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद ठाकुर के द्वारा आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गयी है। आवेदक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने जमानत के बिन्दु पर कथन किया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे इस केस में दुर्भावना व दुश्मनी के कारण गलत ढंग से फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध चार केस लंबित है। आरोपित धारा–23 पॉक्सो एक्ट के छोड़कर अन्य आरोपित धाराएं जमानतीय हैं एवं धारा–23 पॉक्सो एक्ट आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होता है क्योंकि प्राथमिकी में ही कहा गया है कि भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा कथित तौर पर पहचान का खुलासा किया गया था। आवेदक पर किसी विशिष्ट कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है एवं उसके द्वारा कोई बैनर, पोस्टर या तस्वीर ले जाने का प्रमाण नहीं है। आवेदक द्वारा दिनांक 08.01.26 को अपलोड की गयी मूल फेसबुक पोस्ट में पीड़िता का कोई भी तस्वीर या वीडियो नहीं है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तस्वीर एक संपादित तस्वीर है जिसे आवेदक ने कभी अपलोड नहीं किया था एवं बिना किसी फोरेंसिक या तकनीकी सत्यापन के आवेदक की पोस्ट से गलत तरीके से जोड़ा गया है। तथाकथित घटना में आवेदक की कोई भागीदारी नहीं है। वह स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया है। आवेदक विचारण का सामना करने को तैयार है एवं उसके फरार होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक को जमानत की सुविधा प्रदान करने का निवेदन किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध नहीं किया गया है। सूचिका म.सि. श्रीति कुमारी सोशल मीडिया सेल, खगड़िया के टंकित आवेदन के अनुसार अभियोजन का मामला	

लगातार : 2 27.01.2026	संक्षेप में यह है कि गंगौर थाना क्षेत्र अंतर्गत लैंगिक अपराध से संबंधित नाबालिग पीड़िता का फोटो वीडियो वायरल किया गया है जो पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन है जिस पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्राथमिकी में 15 सोशल मीडिया प्रोफाईल एवं यू.आर.एल. अंकित किया गया है। उभयपक्षों को जमानत के बिन्दु पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचिका द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्त के सोशल मीडिया प्रोफाईल एवं यू.आर.एल. सहित नामजद 14 अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के साथ फोटो या वीडियो अपलोड का फोरेंसिक या तकनीकी सत्यापन प्रतिवेदन संलग्न नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप स्पष्ट नहीं हो रहा है। आवेदक स्वेच्छा से न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं आरोप की प्रकृति को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त को मो0 10000/–(दस हजार) रुपये के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर एवं जांचोपरान्त उसे सही पाये जाने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदक अनुसंधान/विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। (लेखापित एवं शुद्धित) ह0. विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, खगड़िया।	